

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या : 12/168/2021

कम्प्यूटर आई.डी.क्रमांक : 2021/349

प्रवेश तिथि : 23.11.2021

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यर्थी

श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश मेघवाल,  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-खोहर,  
तहसील-बहरोड, जिला-अलवर (राज0)-301709

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 02.03.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
  2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
  3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन-पत्र दिनांक: 12.10.2021 के माध्यम से ग्राम पंचायत खोहर के क्रम में प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांक: 08.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी।
  4. आवेदक को उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 17.11.2021 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
  5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई. अपील/2021/590-91 दिनांक: 23.11.2021 के माध्यम से तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर स्मरण-पत्र सं. 608 दिनांक: 30.11.2021, 59 दिनांक: 17.02.22 व 60 दिनांक: 17.02.22 के माध्यम से व ई-मेल के जरिये भी जवाब भिजवाने बाबत लिखा गया किन्तु किसी प्रकार का जवाब अप्राप्त रहा।
  6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।
  7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 12.10.2021 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) के अंतर्गत सूचना में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।
- अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 12.10.2021 में वांछित सूचना, कार्यालय अभिलेख पर संधारण अनुसार नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को जरिये पंजीकृत-पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


रीडर


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम) अलवर (राज0)

*[Handwritten Signature]*

(2)

9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

  
अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)



आज्ञा से

रीडर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)